पात्रता मानदण्ड

स्वैच्छिक संगठनों के लिए पात्रता मानदण्ड इस प्रकार हैं :

i) इसे संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इसके एक राज्य रूपान्तरण अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 अथवा सहायतार्थ एवं धमार्थ संस्थान पंजीकरण अधिनियम, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

ii) कपार्ट में आवेदन देने की तिथि पर स्वैच्छिक संगठन के पंजीकरण की तीन वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी हो।

iii) कपार्ट में निधिकरण का आवेदन देने के तिथि से तीन वर्षों पहले बैंक या डाकखाने में खाता होना चाहिए।

iv) ग्रामीण विकास स्वैच्छिक संगठन की बहिर्नियमावली के उद्देश्यों में से एक होना चाहिए।

v) यदि स्वैच्छिक संगठन का मुख्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित हो तो भी यह ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों के साथ काम करता हो।

vi) प्रचालन क्षेत्र ग्रामीण ही होना चाहिए, अर्थात एक गांव एक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता हो; जो क्षेत्र नगर निगम नगर पालिका, अधिसूचना क्षेत्र समितियों और नगर पंचायतों में शामिल हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र नहीं माना जाएगा।

vii) आयकर विभाग की आवश्यकताओं (पैन, 12 ए) का पालन करता हो या इसके लिए आवेदन किया हो।

viii) संगठन व्यापक आधार वाला और चरित्र (व्यवहार) में प्रतिनिधि होना चाहिए। कार्यालय पदाधिकारियों का संघटन आपस में संबंधित नहीं होना चाहिए अथवा परिवार या पारिवारिक मामलों में संबंध नहीं होना चाहिए। संगठन की शासी/प्रबंध कार्यकारिणी समिति में अधिकतम दो संबंधी/परिवार के सदस्य होने चाहिए। परन्तु बैंक खाते के प्रचालनों में इनमें से केवल एक सह–हस्ताक्षरी होना चाहिए।

ix) कपार्ट के उन संगठनों की सूची में नहीं होना चाहिए जिन्हें हटाने अथवा कमीशन करने की गतिविधि के लिए रद्द या निलंबित किया गया हो।

x) कपार्ट की मंजूरी समिति के सदस्यों, जो हैं कार्यकारिणी समिति/राष्ट्रीय स्थायी समिति/क्षेत्रीय समिति अथवा उनके परिवार के सदस्य और/या संबंधी कपार्ट की सहायता पाने के इच्छुक स्वैच्छिक संगठन के कार्यालय पदाधिकारी नहीं होने चाहिए।

xi) कपार्ट में आवेदन करने की तिथि पर कपार्ट द्वारा निधिकृत तीन से अधिक चालू परियोजनाएं स्वैच्छिक संगठन के पास क्रियान्वयानाधीन नहीं होनी चाहिए।

प्रस्ताव के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़

(प्रतियां एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हों)

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोप्रति (स्वैच्छिक संगठन के पंजीकरण के बाद यदि कोई संशोधन हुए हों तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता)।

2. स्वैच्छिक संगठन के पंजीकरण के बाद संगठन के उप–नियम (उप नियमों को बनाने के बाद यदि कोई संशोधन हों तो उप–नियमों की वैधता)।

3. पंजीकरण प्राधिकारियों से प्रामाणिकता इंगित करते हुए प्रबंधन समिति/कार्यकारिणी निकाय का नवीनतम संघटन।

4. पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन।

5. पिछले 3 वर्षों का लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र और प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षित लेखा अर्थात प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा तथा तुलनपत्र।

6. आय कर विभाग/प्राधिकारी से प्राप्त धारा 80जी और 12ए के अंतर्गत पैन नम्बर/छूट आदेश संबंधी आदेश अथवा इन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास भेजे गए अनुरोध पत्र।

7. पिछले तीन वर्षों के दौरान लेन–देन दर्शाने वाली बैंक/डाकखाने की बचत पुस्तिका की प्रति

8. बैंक प्रबंधन/पोस्ट मास्टर से इस आशय का प्रमाणपत्र कि खाता पिछले तीन वर्षों से चलाया जा रहा है।

9. स्वैच्छिक संगठन के कार्यकारिणी निकाय/प्रबंध समिति के वर्तमान सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संगठन के संकल्प पत्र सहित परियोजना प्रस्ताव कपार्ट में भेजा जाए। समिति के सभी वर्तमान सदस्यों की फोटो स्वयं प्रमाणित करके नवीनतम, पूरे पते के साथ वचनपत्र में उल्लिखित हों।

10. विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव के साथ संगत अन्य दस्तावेज़ अर्थात आवास, भूमि विकास कार्यक्रमों, सामान्य सम्पति के स्वामियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र/आज्ञा आदि।

11. इस आशय का प्रमाणपत्र कि संबंधित परियोजना के लिए किसी सरकारी, गैर–सरकारी, अंतरराष्ट्रीय या अन्य किसी अभिकरण से इन्हीं लाभार्थियों को लेकर इसी परियोजना में पूरी तरह या आंशिक रूप से कोई निधिकरण न तो प्राप्त किया है, न प्राप्त कर रहा है और न ही प्राप्त करेगा या इसे पाने का आवेदन करेगा।

कपार्ट से पहली बार सहायता पाने का आवेदन करने वाले संगठनों की संगठनात्मक रूपरेखा

(यह प्रपत्र 2 लाख रु. से कम राशि के वार्षिक कारोबार वाले छोटे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा 1 लाख रु. तक के परियोजना प्रस्ताव जमा करने के लिए लागू है।)

1. संगठन का नाम ______________________________

2. पता :
   क) गाँव ______________________________
   ख) डाकखाना ______________________________
   ग) तालुका ______________________________
   घ) पुलिस स्टेशन ______________________________
   ङ) ज़िला ______________________________
   च) राज्य ______________________________
   छ) पिन कोड ______________________________
   ज) टेलीफोन नं. ______________________________
   झ) फैक्स नं. ______________________________
   ञ) ई–मेल ______________________________

3. कितने गाँवों में स्वैच्छिक संगठन कार्यरत है?

4. उद्देश्य

5. पंजीकरण के विवरण :
   क) पंजीकरण नं. : ____________________ तिथि ____________
   ख) ______________________________ तक वैध
   ग) यदि एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत है तो संख्या बताएँ : ______________

(पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें)

6. कार्यकारिणी/शासी निकाय के सदस्यों के विवरण :

क्र. सं.	नाम	पिता/पति/पत्नी का नाम	टेलीफोन नं. के साथ पता	यदि सदस्य आपस में संबंधित हैं तो संबंध बताएँ
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

यदि संगठन के मूल कार्यकारिणी निकाय/शासी निकाय में परिवर्तन है तो स्वैच्छिक संगठन के कार्यकारिणी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए या समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

7. की गई गतिविधियाँ और अनुभव :

8. क्या स्वैच्छिक संगठन ने पिछले समय में कपार्ट की सहायता से कोई परियोजना की है। यदि हाँ तो इसके विवरण और स्थिति बताएँ :

9. मुख्य लक्ष्य समूह :

10. क) बैंक खाता/खातों की संख्या ____________________

ख) बैंक शाखाओं का नाम ____________________

ग) खाता संख्या और खाते (खातों) का प्रकार ____________________

घ) खाता खोलने की तिथि ____________________

ङ) आवेदन की तिथि पर बैंक में शेष राशि ____________________

च) हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम ____________________

छ) मुख्य पदाधिकारी के साथ हस्ताक्षरकर्ता (ओं) का संबंध, यदि हो तो ____________________
____

क्या स्वैच्छिक संगठन को कभी किसी निधिकरण अभिकरण द्वारा निधिकरण प्रतिबंध में रखा गया है ?

प्रमाणपत्र

उपरोक्त सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और मान्यता के अनुसार सत्य है। यदि किसी भी अवस्था पर पाया जाए कि उपरोक्त में से कोई जानकारी गलत है तो वित्तीय सहायता प्रदान करने का मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए।

स्थान संगठन की मुहर अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

तिथि नाम

पद

कपार्ट में उपयोग हेतु

कम्प्यूटरीकृत आबंटित नम्बर

तिथि ____________________ हस्ताक्षर ________________

कपार्ट की सहायता पाने के लिए आवेदकों के संगठन का प्रोफाइल

(पहली बार आवेदन करने वालों के अतिरिक्त)

(कृपया बड़े/स्पष्ट अक्षरों में भरें)

खण्ड–क : संगठन के विवरण

1. संगठन का नाम ———————————————————————————

2.1 पंजीकृत पता ———————————————————————————

ब्लॉक ———————————————————————————

पुलिस स्टेशन ———————————————————————————

जिला ———————————————————————————

राज्य ———————————————————————————

पिन कोड ———————————————————————————

2.2 शाखा कार्यालयों के विवरण, यदि कोई हैं। (यदि आवश्यकता हो तो शाखा कार्यालयों के और अधिक ब्यौरे देने के लिए अतिरिक्त कागज जोड़ें)।

पता ———————————————————————————

ब्लॉक ———————————————————————————

पुलिस स्टेशन ———————————————————————————

जिला ———————————————————————————

राज्य ———————————————————————————

पिन कोड ———————————————————————————

3. संपर्क के नंबर

फोन नं. (1) ———————————————————————————

फोन नं. (2) ———————————————————————————

मोबाइल नं. ———————————————————————————

तार ———————————————————————————

फैक्स ———————————————————————————

ई–मेल ———————————————————————————

वेबसाइट ———————————————————————————

4. संपर्क के लिए व्यक्ति (यों) के नाम

4.1		अन्तिम नाम	मध्य नाम	प्रथम नाम
	नाम	____________	____________	____________
	पद	____________	____________	____________
4.2	नाम	____________	____________	____________
	पद	____________	____________	____________

5. पंजीकरण के विवरण (कृपया संगत पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रति संलग्न करें)

(कृपया लागू होने वाले अधिनियम के सामने (✓) का निशान लगाएं)।

राज्य ——————————————————————————————

ज़िला ——————————————————————————————

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 ——————————————————————

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 ——————————————————————

सहायतार्थ और धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम, 1920 ————————————————————

यदि किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो बताएं

5.1 पंजीकरण संख्या ———————————— मूल पंजीकरण की तिथि ——————————

पंजीकरण की वैधता ——————————————————————————

5.2. विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, 1976 के विवरण

(यदि लागू होता है तो प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)

मूल पंजीकरण तिथि ——————————————————————————

मूल पंजीकरण की संख्या ————————————पंजीकरण की वैधता ——————————

6 क्या संगठन या कार्यालय पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामले लम्बित हैं ? ———— (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो कृपया ब्यौरे दें।

7. लक्षित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के ब्यौरे (पूरा नाम और पता दिया जाए)

7.1 लोक सभा सदस्य	i)	————————————
7.2 विधान सभा सदस्य	ii)	————————————
7.3 ग्राम सरपंच/ग्राम प्रधान	iii)	————————————
7.4 कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	iv)	————————————
7.5 परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	v)	————————————
7.6 ब्लॉक विकास अधिकारी	vi)	————————————

8.2. पदाधिकारियों के विवरण

(प्रत्येक कार्यालय पदाधिकारी के लिए यह मद फॉर्म भरा जाए। कृपया इस पृष्ठ की फोटो कॉपी का उपयोग करें)

8.2.1 कार्यालय पदाधिकारी का नाम : ——————————————————————————

——————————————————————————————————

8.2.2. बताएं कि अन्य स्वैच्छिक संगठनों में कार्यालय हैं : हाँ/ना

8.2.3 अन्य स्वैच्छिक संगठनों में स्थित कार्यालयों के विवरण

(यदि 8.2.2 का उत्तर हाँ हैं)

संगठन का नाम : ——————————————————————————

संगठन का पता : ——————————————————————————

संगठन का नाम : ——————————————————————————

संगठन का पता : ——————————————————————————

संगठन का नाम : ——————————————————————————

संगठन का पता : ——————————————————————————

8.2.4. कपार्ट के पदाधिकारियों के साथ संबंध का विवरण, यदि लागू हो तो

कपार्ट पदाधिकारी का नाम : ——————————————————————

पद : ——————————————————————

कार्यालय का पता : ——————————————————————

कपार्ट पदाधिकारी का नाम : ——————————————————————

पद : ——————————————————————

कार्यालय का पता : ——————————————————————

कपार्ट पदाधिकारी का नाम : ——————————————————————

पद : ——————————————————————

कार्यालय का पता : ——————————————————————

8.2.5. यदि मुख्य पदाधिकारी के परिवार के कोई सदस्य यहाँ हैं जो संगठन से वेतन/मानदेय प्राप्त करते हैं ? यदि हाँ तो ब्यौरे दें।

8.2.6. कृपया मुख्य पदाधिकारी की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का विवरण संलग्न करें ?

8.2.7. क्या मुख्य पदाधिकारी संगठन के संस्थापक हैं ? यदि नहीं तो वे कितने वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ? (कृपया उनका बायोडाटा संलग्न करें)।

खण्ड ख : गतिविधियों के विवरण

9. गतिविधियां (कृपया तालिका–I के गतिविधि कोड संदर्भित करें और उचित कोड दें, अनेक प्रकार की गतिविधियों के लिए एक से अधिक कोड दें, जैसा उपयुक्त हो)

9.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई योजनाएं (कपार्ट या अन्य में)

क्र. सं.	योजना का शीर्षक	राशि (रु.)	पूर्ण हो चुकी/चालू	टिकाऊ बनाने के उपाय

9.2 क्या आपने लोगों की भागीदारी वाली परियोजनाएँ की हैं ? यदि हाँ तो कृपया एक अलग कागज पर 50 शब्दों में विवरण दें।

9.3 क्या अपने गरीबों, अ. जा. और अ.ज.जा., निःशक्तों या महिलाओं को संगठित और प्रेरित करने की परियोजनाएँ की हैं ? यदि हाँ तो कृपया एक अलग कागज पर 100 शब्दों में विवरण दें।

10. प्रचालन का भौगोलिक क्षेत्र (नीचे दी गई सूची से उचित कोड को चिन्हित (✓) करें)

तटीय (C)	भूकम्प के लिए संवेदनशील (E)	जन जातीय (T)
रेगिस्तान (D)	सूखा संवेदनशील (P)	दूरस्थ/कठिन क्षेत्र (R)
पहाड़ी (H)	बाढ़ के प्रति संवेदनशील (F)	कोई अन्य (बताएं) (O)

10.1 विभिन्न जिलों की कुल संख्या जिनमें कार्य किये गये

10.2 जिलावार विवरण

राज्य	जिला	तालिका –I के अनुसार प्रमुख गतिविधियों के कोड	क्षेत्र में काम करने की अवधि

10.3. क्या परियोजना, जिसके लिए निधिकरण अपेक्षित है, एक नए क्षेत्र में किया जा रहा है ? हाँ/नहीं

10.4 यदि हाँ, तो आपकी कितने दिनों तक इस क्षेत्र में काम करने की योजना है।

11. मुख्य लक्षित समूह (कृपया नीचे दी गई सूची से उपयुक्त कोड दें)

कृषि मजदूर (A)	छोटे और उपेक्षित किसान (M)	बच्चे (C)
बंधुआ मजदूर (B)	अनुसूचित जाति (S)	महिलाए (W)
भूमिहीन मजदूर (L)	दस्तकार (R)	निःशक्त (D)
कोई अन्य (बताएं) (O)	अन्य स्वैच्छिक संगठन (V)	आदिवासी (T)

12. संगठन में कार्यरत व्यावसायिक कर्मचारी (कृपया उचित मद के सामने कर्मचारियों की संख्या लिखें)

(कृपया यह भी बताएँ कि पूर्ण कालिक है या अंशकालिक)

चिकित्सक	अभियन्ता	शिक्षक
होमियोपैथ	प्रौद्योगिकीविद	प्रशिक्षक
आर्युर्वेदिक	भूगर्भभौतिकविद्	वकील
पोषाहार विशेषज्ञ	अर्थशास्त्री	भूगर्भ विज्ञानी
स्वास्थ्य कर्मचारी	सामाजिक कार्यकर्ता	पशु चिकित्सक
दाई	सोशल एनिमेटर	वनविज्ञानी
दृश्य श्रव्य विशेषज्ञ	चार्टर्ड लेखाकार	वास्तुकार
ड्रिलर	लेखाकार	अन्य (कृपया बताएं)

12.1 संगठन में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या :

पूर्ण कालिक	अंशकालिक
स्वैच्छिक आधार पर	कुल संख्या

क्या वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वैच्छिक संगठनों के कार्यालय पदाधिकारियों/बोर्ड सदस्यों/कार्यपालक सदस्यों से संबंधित हैं ?

(यदि हाँ, तो ब्यौरे दिए जाएँ)

13. स्वैच्छिक संगठन द्वारा पहले से कपार्ट की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे (मंजूरी की तिथि से क्रमानुसार)

क्र सं	फाइल सं.	प्रस्ताव का शीर्षक (राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव)	स्थान	मंजूरी के ब्यौरे				इकाइयों तथा लाभार्थियों की मंजूर संख्या				जारी करने का तरीका		समापन/ उपयोगिता प्रमाणपत्र* जमा करने की तिथि	टिप्पणी
				तिथि	कपार्ट की सहायता (रू)	अन्य (रू)	कुल (रू)	इकाइयाँ (रु.)	अ. जा/ अ.ज. जा. (रू)	ओबी सी (रू)	अन्य	राशि (रू)	राशि (रू)		
1.	2.	3.	4.	5 क	5 ख	5 ग	5 घ	6 क	6 ख	6 ग	6 घ	7 क	7 ख	8	9

* कृपया पूरी हो चुकी परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र की फोटो कॉपियाँ संलग्न करें।

खण्ड – ग : संगठन की वित्तीय स्थिति

कृपया प्रदान करें

क) पिछले तीन वर्षो के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां

ख) पिछले तीन वर्षो के लेखा का लेखा परीक्षित विवरण की प्रतियां

ग) पिछले तीन वर्षो से डाकखाना/बैंक में खाता होने का प्रमाण की प्रतियां

घ) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं (पैन) की प्रतियां

14. आय और व्यय

क्र. सं.	वर्ष (लाख रू.)	आय (लाख रू.)	व्यय
1)			
2)			
3)			

15. प्राप्ति और भुगतान

क्र. सं.	वर्ष (लाख रू.)	प्राप्ति (लाख रू.)	भुगतान
1)			
2)			
3)			

16. पिछले लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार संगठन की प्रमुख परिसम्पत्तियाँ

(इसमें भूमि का मूल्य, भवन और कुर्सी क्षेत्र आदि शामिल है)

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ	मूल्य (लाख रु.)
1)	नकद जमा	
2)	चल परिसंपत्तियाँ	
3)	अचल परिसंपत्तियाँ	

(कृपया 20,000 रु. से अधिक मूल्य की चल और अचल परिसम्पत्तियों की सूची लगाएं)

17. बैंक खातों के विवरण जिनसे कपार्ट की धनराशि का प्रचालन किया गया है/किया जाना प्रस्तावित है

17.1 ------------------- के नाम पर खाता (बचत पुस्तिका की फोटोकॉपी लगाएँ)

17.2 बैंक खाते के ब्यौरे

क्र. सं.	मद	ब्यौरे	ब्यौरे	ब्यौरे
1.	बैंक का नाम			
2.	शाखा का पूरा पता			
3.	खाता संख्या			
4.	खाते का प्रकार			
5.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम (1)			
	संगठन में पद			
	मुख्य पदाधिकारी के साथ संबंध			
6.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम (2)			
	संगठन में पद			

	मुख्य पदाधिकारी के साथ संबंध			
7.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम (3)			
	संगठन में पद			
	मुख्य पदाधिकारी के साथ संबंध			

17.3 प्राप्तियों का सारांश

पिछले तीन वर्षों के लेखों के लेखा परीक्षित ब्यौरे से विवरण दें, जैसा नीचे बताया गया है।

17.3.1 प्राप्तियों का ब्यौरा

प्राप्तियाँ	वर्ष		वर्ष		वर्ष	
	राशि (रु.)	%	राशि (रु.)	%	राशि (रु.)	%
कुल प्राप्त अनुदान		100		100		100
सरकार से						
विदेशी स्रोतों से						
निजी स्रोतों से						
सामुदायिक अंशदान द्वारा						

17.3.2 पिछले वर्ष प्रशासन कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया था?

17.3.3 प्रशासनिक व्यय पर के प्रतिशत का ब्यौरा :– * स्पष्टीकरण पेज पर

क्र सं	प्रशासनिक व्यय	राशि (रु)	प्रतिशत
1)	वेतन/पारिश्रमिक		%
2)	कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		%
3)	ईंधन, तेल, लुब्रिकेन्टस		%
4)	यात्रा		%

5)	टेलीफोन		%
6)	कार्यालय व्यय		%
7)	अन्य		%
	कुल		100 %

17.3.4 **क्या कपार्ट या किसी अन्य संगठन के द्वारा आपके संगठन को काली सूची / अनुदान प्रतिबंध के अंतर्गत रखा गया है ?**

यदि हाँ, तो विवरण दें।

18. **क्या लेखा परीक्षित रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन जनता के किसी सदस्य के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है ? हाँ/नहीं**

यदि नहीं तो इसके कारण ....

....

19. प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर सत्य है। यह ज्ञात है कि गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कपार्ट की सहायता वापस ले ली जाएगी और स्वैच्छिक संगठन को अगली वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी।

कार्यकारिणी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

नाम **अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर**

पद **नाम**

पद

स्थान :

संगठन की मुहर

तिथि :

कपार्ट में उपयोग हेतु

कम्प्यूटरीकृत आबंटित नम्बर

तिथि ____________________ हस्ताक्षर ____________________

तालिका–I

गतिविधियाँ और उनके अनुरूप कोड

कृषि

क्रेडिट	AG 01
विस्तार एवं प्रशिक्षण	AG 02
भूमि विस्तार	AG 03
परतीभूमि विकास	AG 04
जल प्रबंधन	AG 05
जागरूकता पैदा करना	AW 01
प्रशिक्षण	AW 02
अभियान	AW 03
सूचना–सामग्री तैयार करना,	AW 04

वन

कार्य अध्ययन	FW 01
सामाजिक वानिकी	FW 02

ग्रामीण आवास

कम कीमत के मकानों का निर्माण	RH 01
आपदा प्रबंधन	RH 02

सूचना विस्तार

प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण	ID 01
प्रकाशन	ID 02
मीडिया–समर्थन	ID 03
सूचना प्रौद्योगिकी	ID 04

ग्रामीण प्रौद्योगिकी

शोध	RT 01
आर. टी. का क्रियान्वयन	RT 02
गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत	RT03
प्रौद्योगिकी स्थानांतरण	RT04

आय सृजन

ग्रामीण महिलाएँ	IG01
स्व सहायता समूह	IG02
समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	IG03
ग्रामीण ऋण	IG04

पेयजल एवं स्वच्छता

जल आपूर्ति	DW 01
परंपरागत जल प्रणाली	DW 02
शौचालयों का निर्माण	DW 03
स्वच्छता बाजार	DW 04

विपणन

ग्रामीण उत्पादों का विपणन	MK 01
प्रदर्शनी और मेले	MK 02
विकलांगता संबंधी मुद्दे	DR 01
पंचायती राज	PR 01
लोक सहयोग	PC 01
नवीन योजनाऐं	PC 02
ग्राम संपर्क सड़कें	VR 01
अन्य (विविध)	MS 01

सहायता के लिए पहली बार आए संगठनों का आवेदन

- कपार्ट में पहली बार आवेदन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को उनकी शक्ति, पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव को विचार में नहीं लेते हुए अपना पहला परियोजना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय समितियों के पास जमा करना होता हैं।
- प्रस्तावों को अस्वीकार होने से बचाने के लिए ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे अति महत्वाकांक्षी सहायता युक्त परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार प्रस्ताव बनायें तथा उसी के अनुसार उपयुक्त सहायता मांगे।

कपार्ट की सहायता के लिए आवेदकों के परियोजना प्रोफाइल का प्रपत्र

(पहली बार आवेदन करने वाले आवेदकों की परियोजना और 25 लाख रु. से कम वित्तीय परिव्यय वाली परियोजना को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा किया जाए। 25 लाख रु. से अधिक की परियोजनाएँ कपार्ट मुख्यालय, दिल्ली में जमा की जाएँ।)

1. परियोजना का शीर्षक ——————————————————————————

——————————————————————————————

——————————————————————————————

2. स्थिति

   क) राज्य ——————————————————————

   ख) जिला ——————————————————————

   ग) ब्लॉक ——————————————————————

   घ) ग्राम ——————————————————————

3. भौगोलिक विवरण

   i. कुल जनसंख्या – पुरूष—————————महिलाएँ —————————

   ii. परिवारों की संख्या अनु. जाति ————अनु. जनजाति————ओबीसी————

   सामान्य/बीपीएल——————एपीएल/कलाकार ————

   iii. भूमि की उपयोगिता ——————————————————————

   iv. सिंचाई के साधन ——————————————————————

   v. कलाकारों के व्यवसाय ——————————————————————

   vi. गाँवों की समस्याएँ ——————————————————————

4. **उद्देश्य**

टिप्पणी : प्रपत्र को अपनाते हुए आवेदक हमेशा संगत या अतिरिक्त जानकारियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा उपयुक्त हो ।

5. लाभार्थी

5.1 **गाँववार विवरण देते हुए लाभार्थियों की सूची** : नाम, पिता/, पति/पत्नी का नाम, लिंग जाति समूह, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग/एपीएल मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर/भूमिहीन

श्रमिक, अ.जा./अ.ज.जा/उपेक्षित किसान/छोटे किसान/ग्रामीण शिल्पकार/ मछुआरे। इनकी कुल स्वामित्व वाली भूमि (सिंचित या असिंचित)। परियोजना के प्रयोजन हेतु भूमि का विस्तार शामिल किया जाए। इस सूची को लाभार्थियों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान सहित अनुलग्नक–1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार संलग्न किया जाए।

5.2 लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए अपनाई गई विधि।

6. परियोजना की आवश्यकता : परियोजना की आवश्यकता और क्या लाभार्थियों की ज़रूरतें, उनकी रूचियाँ और प्राथमिकताएँ एक आवश्यकता आधारित लाभार्थी उन्मुख परियोजना तैयार करते समय परियोजना के कार्यान्वयन और सृजित परिसम्पत्तियों आदि के रखरखाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तय की गईं, इस पर संक्षिप्त विवरण देकर विश्लेषण करें तथा औचित्य बताएँ।

7. लोगों की भागीदारी का विस्तार और विधि : कृपया सामाजिक प्रेरण, लोगों की भागीदारी से लाभार्थियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित विधि और विस्तार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें।

8. कार्य कार्यक्रम

क्र. सं.	*गतिविधियां (प्रत्येक गतिविधि कार्यान्वयन के क्रम में नाम, विवरण आदि सहित विस्तार से बताई जाए)	मात्रा/संख्या	पूरा करने में लगने वाला समय
1	2	3	4

* भूमि पर आधारित परियोजनाओं के मामलें में भूमि का एक स्थूल मानचित्र दिया जाए, जिसमें सामूहिक सिंचाई/बोरवेल/कुंए आदि जैसी की जाने वाली गतिविधियां, प्रत्येक/सामूहिक सिंचाई कुंओं/बोरवेल का प्रभाव क्षेत्र भी दिया जाए।

9. **परियोजना की अवधि**

10. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्मिक

(i) पूर्णकालिक

क्र.सं.	योग्यताओं सहित आवश्यक कार्मिकों की संख्या	पहले से उपलब्ध	अतिरिक्त प्रस्तावित	लागत (प्रति वर्ष) (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) अंशकालिक परामर्शदाताओं को संलग्न करने की आवश्यकता, उनकी लागत प्रतिवर्ष, परियोजना के संदर्भ में आवश्यकता और औचित्य।

11. अन्य उपलब्ध और आवश्यक सुविधाएं (मशीनरी, उपकरण, भवन, पशुधन आदि)

12. प्रयुक्त/अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी (कृपया ब्यौरे दें : यह प्रौद्योगिकी क्या है, क्यों चुना गया और कैसे प्राप्त किया जाएगा। तकनीकी आरेखन और सामग्री विवरण सहित तकनीकी अनुमान भी प्रदान करें, जहाँ आवश्यक हो, उसे विषय के विशेषज्ञ द्वारा विधिवत प्रमाणित कराया जाए)।

14. **कार्यान्वयन का तरीका :**

(विस्तृत कार्य योजना दें, जिसमें लाभार्थियों की पहचान/प्रेरण/कौशल सर्वेक्षण/कौशल विकास / निवेशों की व्यवस्था/कच्ची सामग्रियों की व्यवस्था/उपकरण/मशीनरी/पशुधन आदि/तकनीकी समर्थन/ऋण उगाहने के साथ कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बताई जाएं)।

15. **विपणन व्यवस्थाएं**

16. **परियोजना पूरी होने के बाद कार्यक्रम के स्थायित्व/दोहराव सुनिश्चित करने के लिए परिसम्पत्तियों के रखरखाव और कार्यक्रम जारी रखने की व्यवस्थाएं।**

17. **अपेक्षित परिणाम (प्रभाव सूचक) :**

क) रोजगार/स्वयं

ख) आय उत्पादन या वृद्धि

ग) महिला रोजगार

घ) कौशल उन्नयन

ङ) सामाजिक इक्विटी

च) पर्यावरण प्रबंध

छ) वित्तीय परिणाम (आय उत्पादन गतिविधियों के मामले में)

18. **वास्तविक लक्ष्य और परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समय अनुसूची**

मद	I वर्ष	II वर्ष	III वर्ष
(क)			
(ख)			
(ग)			
(घ)			

19. सामाजिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था (परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय ग्राम सभा से परामर्श, क्योंकि परियोजना पूरी होने के बाद इसके परिणाम ग्राम सभा को भी बताए जाते हैं)।

कार्यकारिणी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित	अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर*
नाम :	नाम :
पद :	पद :
	(*यदि बहिर्नियमावली/उप–नियमों में इंगित नहीं किया गया हो तो हस्ताक्षर के लिए कार्यकारिणी निकाय द्वारा अधिकृत करने की प्रति संलग्न करें)

स्थान :

तिथिः :

मंजूर की गई परियोजना के लिए अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रपत्र

.... (दिन/माह/वर्ष) से .... (दिन/माह/वर्ष) तक की अवधि का प्रगति प्रतिवेदन

भाग–I : सामान्य

1. परियोजना का नाम ———————————————————————

2. कार्यान्वयनकारी एजेंसी का नाम व पता ——————————————

3. परियोजना क्षेत्र ———————————————————————

4. (i) परियोजना की कुल लागत रु. ——————————————

(ii) परियोजना की अवधि ——————————————

(iii) परियोजना आरंभ होने की तिथि ——————————————

5. वित्त प्रदान करने के स्रोत

(क) कपार्ट की सहायता रु. ——————————————

(ख) बैंक ऋण रु. ——————————————

(ग) सरकारी सब्सिडी रु. ——————————————

(घ) कार्यपालक संगठन द्वारा अंशदान रु. ——————————————

(ड़) लाभार्थियों द्वारा अंशदान रु. ——————————————

(च) अन्य स्रोत, यदि कोई हैं। रु. ——————————————

टिप्पणी : आवेदक इस फारमेट को भरते समय हमेशा उपयुक्त संबंधित या अतिरिक्त सूचना दे सकते हैं।

<u>भाग II– वित्तीय प्रगति</u>

1. अनुदान की कपार्ट द्वारा जारी की गई किस्त की धनराशि तथा तिथि

   (i)

   (ii)

2. मूल्यांकनकर्ता अभिकरण/मूल्यांकनकर्ता के नाम सहित कपार्ट द्वारा परियोजना के मध्यावधि मूल्यांकन की तिथि

   (i)

   (ii)

   (iii)

———————————————————————————————

———————————————————————————————

4. लोगों की भागीदारी के पहलू

क) क्या परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन में लाभार्थी शामिल हैं? यदि हां तो वे क्षेत्र बताएं जहां लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है और कैसे सम्मिलित किए गए हैं?

ख) क्या लाभार्थी परियोजना कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं? उनकी भागीदारी के ब्यौरे दें।

ग) परियोजना कार्यान्वयन में कौन सी समस्याएं सामने आईं? इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप कौन से सुधारात्मक उपायों का सुझाव देते हैं?

घ) क्या लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है?

ङ) क्या सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व लाभार्थियों को दिया गया है?

च) क्या लाभार्थियों को परिसम्पत्तियों के रखरखाव में शामिल किया गया है?

छ) क्या लाभार्थी बदल गए हैं? कारण सहित ब्यौरे, नए लाभार्थियों को चुनने में अपनाई गई प्रक्रिया और क्या कपार्ट का अनुमोदन प्राप्त किया गया, यदि हां तो कृपया कपार्ट के अनुमोदन की संख्या और तिथि बताएं ?

ज) परियोजना का प्रभाव (कृपया परियोजना क्षेत्र में विशिष्ट गतिविधि से जुड़ा एक सारांश और इसका प्रभाव बताएं)

झ) कोई अतिरिक्त टिप्पणियां?

5. कपार्ट के अनुदान से सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरे

क्र.सं.	परिसम्पत्तियों के नाम और विवरण	मात्रा	खरीद की तिथि	खरीद का मूल्य	उन मदों के संदर्भ में जिनकी राशि लेखा परीक्षित लेखा परीक्षण में शामिल हैं	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

स्थान : (परियोजना धारक के हस्ताक्षर)

स्वैच्छिक संगठन की मुहर

दिनांक : परियोजना का नाम

उपयोगिता प्रमाणपत्र

कपार्ट की धनराशि की उपयोगिता की स्थिति

लेखा शीर्ष	मंजूर आवंटित	दिनांक जिस तक अनुदान जारी किया गया	पिछले लेखा अवधि तक का व्यय	वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय	कॉलम 5 में दिखाए गए मदवार व्यय के संदर्भ में लेखा परीक्षित लेखों में निहित	अब तक कुल व्यय	अतिरिक्त या बचत	अतिरिक्त या बचत के लिए टिप्पणी /कारण
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(लेखाकार) (परियोजना धारक) (लेखा परीक्षक)

परियोजना का नाम